प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी
उत्तर प्रदेश

पत्रांकः- 6240 /वि0क0/यो0/2011-12 लखनऊ दिनांक, 21 नवम्बर, 2011.

विषयः-**वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति के नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण अनुदान हेतु द्वितीय छः माह के लिये वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति के नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण अनुदान हेतु द्वितीय छः माह के लिये कुल रू0 16,64,82,000/- (रू0 सोलह करोड़ चौसठ लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार विभिन्न जनपदों को आवंटित करते हुये निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के आधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है:-

1. उक्त धनराशि से केवल विकलांग पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान निदेशालय द्वारा जारी बैंक एडवाईस के अनुसार किया जायेगा।
2. उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन एवं निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0- बी-1195/दस-16/1994, दिनॉक- 06.06.1994 तथा शासनादेश सं0- बी-2337/दस-97, दिनॉक- 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलेन्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अद्धशासकीय पत्र सं0- 3318/दस-22/98, दिनॉक- 28.07.1998 में किया गया है।

6. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान सं0- 83 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7. उपरोक्त आवंटन निदेशालय की अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0-52 पर अंकित है।

<u>संलग्नकः</u>-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0एन0 उपाध्याय)
निदेशक,

<u>**पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
7. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
8. गार्ड फाईल।

(नारेन्द्र सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।